न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी: मदन सिंह चौधरी, आर.जे.एस

10 वर्ष से अधिक अवधि पुराना प्रकरण।

निर्णय दिनांक	-	**06.06.2026**
फौज. मूल प्र.सं.	-	956/2015(2054/2017)
सी.आई.एस नंबर	-	**937/2016**
सी.एन.आर. नंबर	-	**RJJL060007192015**
प्रथम सूचना रि. सं.	-	**104/2015**
अंतर्गत धारा	-	**394, 323/34 भारतीय दंड संहिता**
पुलिस थाना	-	**बागोड़ा**

अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, भीनमाल।

उपस्थितः-

श्रीमान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।

ब ना म

अभियुक्तगणः-

01. काजाराम पुत्र श्री डुंगरराम, निवासी जुना चैनपुरा, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर।
02. यशवंत उर्फ नरपत पुत्र रामलाल, निवासी जुना चैनपुरा, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर।
03. वेनाराम पुत्र डुंगरराम निवासी जुना चैनपुरा, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर।

उपस्थितः-

01. श्री बालूराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त काजाराम व वेनाराम की ओर से।
02. श्री कुलदीप सिंह, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त यशवन्त की ओर से।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	13.09.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	21.09.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	12.10.2015
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	14.07.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	20.01.2017
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	06.06.2026
निर्णय की तिथि	06.06.2026

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	रामदीन	ताईद एफआईआर
पीडब्ल्यू 2	सांवलाराम	मौतबीर घटनास्थल
पीडब्ल्यू 3	मौडसिंह	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 4	पुनमाराम	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू 5	बंशीलाल	मौतबीर घटनास्थल
पीडब्ल्यू 6	राजेंद्र सैनी	मौतबीर फर्द जब्ती व नक्शा नजरी बरामदगी स्थल
पीडब्ल्यू 7	मोहनलाल	मौतबीर फर्द गिरफतारी
पीडब्ल्यू 8	रिडमलराम	मौतबीर फर्द गिरफतारी
पीडब्ल्यू 09	तुलछाराम	मौतबीर फर्द जब्ती व नक्शा नजरी बरामदगी स्थल
पीडब्ल्यू 10	नरपतसिंह	मौतबीर फर्द गिरफतारी मुलजिम
पीडब्ल्यू 11	बद्रीदान	कायमी मुकदमा व नतीजा देना
पीडब्ल्यू 12	नरपतदान	आई आर जारी करना

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क. अभियोजन

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी.1
2.	फर्द नक्शा मौका	प्रदर्श पी.2
3.	चोट प्रतिवेदन रामदीन	प्रदर्श पी.3
4.	फर्द जब्ती सुप्रीम कंपनी का एक मल्टीमीटर, कला मीटर, पेचकश एवं पलास	प्रदर्श पी.4
5.	फर्द जब्ती दो हजार रूपये	प्रदर्श पी.5
6.	फर्द जब्ती वाहन मोटरसाइकिल आरजे 46 एसए 6824	प्रदर्श पी.6
7.	फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल बरामद मोटर चैकिंग का सामान, मल्टीमीटर, कलामीटर, पेचकश व पलास	प्रदर्श पी.7
8.	फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल बरामदबरामद रूपये 2000 व मोटरसाईकिल डिस्कवर आरजे 46 एसए 6824	प्रदर्श पी.8
9.	फर्द गिरफतारी काजाराम	प्रदर्श पी.09
10.	फर्द गिरफतारी यशवंत कुमार	प्रदर्श पी.10
11.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी.11
12.	फर्द इत्तिला काजाराम	प्रदर्श पी 12
13.	फर्द इत्तिला काजाराम	प्रदर्श पी 13
14.	फर्द गिरफतारी वेनाराम	प्रदर्श पी.14
15.	मालखाना रजिस्टर	प्रदर्श पी 15

ख. बचाव

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	पुलिस बयान मोडसिंह	प्रदर्श डी.1
2.	पुलिस बयान पूनमाराम	प्रदर्श डी.2

- निर्णय -

दिनांक 06.06.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 21.09.2015 को प्रार्थी श्री रामदिन पुत्र बुधाराम निवासी पिपाड सिटी हाल राउता ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि-

> **"दिनांक 13.09.2015 को वक्त करीब 10.30 बजे सुबह मैं मेरी दुकान पर बैठा था। इतने में मोटर साईकिल लेकर सुरेश पुत्र उदा राम निवासी चैनपुरा दुकान पर आया व मुझे कहने लगा कि कानाराम बेरे पर मोटर ठीक करनी है। आप मेरे साथ चले तब मुझे मोटरसाइकिल पर बैठा कर लाखणी नदी सरहद पातों की ढाणी में गये तब वहां खड़े काजाराम पुत्र डुंगराराम, यशवंत पुत्र रामलाल निवासी चैनपुरा ने मोटरसाईकिल रोकने का ईशारा किया तब मोटरसाईकिल सुरेश ने रोका, रोक कर तीनों मेरे साथ थापों-मुक्कों व लातों से मारपीट करने लगे व मेरे जेब से मोबाईल एस 3 सैमसंग व सात हजार रुपये व सामान लेकर तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर भागने लगे। तब मैंने मारे-मारे का हाका किया तो हाका सुन सामने से आ रहे पुनमाराम पुत्र धनाजी निवासी राउता वाला आया तब वो लोग भाग गये उसने भी इन लोगों को पहचान लिया। तथा मैने गांव में मौजूद लोगों को यह बात बताई कि मेरे व वैनाराम के मोटर रिपेयरिंग का काम है। आपस में नहीं बनती है इस कारण इन लोगों को सिखा कर मेरे साथ मारपीट कर मोबाईल, रूपये व सामान लूट करवाये हैं।"**

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बागोड़ा द्वारा अभियोग संख्या 104/2015 अपराध अन्तर्गत धारा 394, 323/34 भादसं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण काजाराम व यशवंत के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 394, 323/34 भादसं. व अभियुक्त वेनाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 394, 323/34, 109 भादसं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 394, 323/34 भादसं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 394, 323/34 भादसं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया

गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण के बयान तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

04. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-

01. आया अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 13.09.2015 को वक्त सुबह 10.30 बजे या उसके लगभग सरहद मौजा लाखनी पातों की ढाणी से लाखनी जाने वाले कच्चे रास्ते पर मजरूब रामदीन के साथ लूट कारित करने के आशय से उसकी जेब से मोबाइल एस 3 सैमसंग व सात हजार रूपये व सामान लूटकर उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहतियां कारित की तथा अन्य सहअभियुक्तगण की उपस्थिति में अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब रामदीन के साथ स्वेच्छया कुंदालय से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की?

02. यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चिय:-

05. अभियोजन पक्ष के विरुद्ध तथा अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता है।

विनिश्चिय के कारण:-

06. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रार्थी रामदीन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 1 दिनांक 21.09.2015 को इस आशय की पेश की गयी कि-

> **"दिनांक 13.09.2015 को वक्त करीब सुबह के 10.30 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा था। इतने में सुरेश मोटरसाइकिल लेकर आया तथा उसे कहा कि काजाराम के बेरे पर मोटर ठीक करनी है इसलिए उसके साथ चलना होगा। वह सुरेश के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर लाखणी नदी की सरहद पातों की ढाणी पहुंचे तब वहां खड़े काजाराम एवं यशवंत ने मोटरसाइकिल रोकने का इशारा किया तब सुरेश ने मोटरसाइकिल रोकी तथा तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। उसकी जेब से मोबाईल एस 3 सेमसंग व सात हजार रूपये व सामान लेकर तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर भागने लगे तब वह चिल्लाया**

तो आवाज सुनकर पूनमाराम आया तब यह तीनों लोग भाग गए। पूनमाराम ने भी इन तीनों लोगों को पहचान लिया तथा उसने गांव के मौजूदा लोगों को यह बात बताई कि उसके व वैनाराम के मोटर रिपेयरिंग का काम है जिसके कारण उसकी आपस में नहीं बनती है इसलिए वेनाराम के कहने से इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की तथा मोबाइल, रूपये व सामान लूटे।"

उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श 11 है। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण काजाराम, यशवंत, वेनाराम एवं सुरेश के विरुद्ध आरोप प्रमाणित माना गया।

07. दौराने अनुसंधान मुर्तिब फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श 2 है जो कि रूबरू मौतबीरान सांवलाराम एवं बंशीलाल के दिनांक 21.09.2015 को मुर्तिब की गयी है। रामदीन का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 3 है जो कि दिनांक 21.09.2015 को मुर्तिब किया गया है। अभियुक्त काजाराम द्वारा दी गयी फर्द इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श 12 एवं 13 है। फर्द जब्ती प्रदर्श 4 रूबरू मौतबीरान राजेंद्र सिंह एवं तुलसाराम के दिनांक 27.09.2015 को मुर्तिब की है जिसके अनुसार सुप्रीम कंपनी का एक मल्टीमीटर, कला मीटर, पेचकश एवं पलास काजाराम से जब्त किए गए हैं। इसी प्रकार काजाराम से दो हजार रूपये फर्द जब्ती प्रदर्श 5 के रूबरू मौतबीरान राजेंद्र सोनी एवं तुलसाराम के जब्त किए गए हैं। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आरजे 46 5 ए 6824 जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श 6 रूबरू मौतबीरान राजेंद्र सोनी एवं तुलछाराम के जब्त की गयी है। फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल मोटर चैकिंग का सामान प्रदर्श 7, फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल बरामद रूपये दो हजार एवं मोटरसाइकिल प्रदर्श 8 हैं। अभियुक्त काजाराम को जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श 9 के दिनांक 25.09.2015, अभियुक्त यशवंत कुमार को जरिए फर्द गिरफतारी प्रदर्श 10 के दिनांक 27.09.2015 को एवं अभियुक्त वेनाराम को जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श 14 के दिनांक 29.09.2015 को गिरफतार किया गया है। जब्तशुदा सामान को जमा मालखाना करवाए जाने की मालखाना रजिस्टर का इंद्राज प्रदर्श 15 है।

08. उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश गवाहान में गवाह पीडब्ल्यू 1 स्वयं शिकायतकर्ता रामदीन है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

"आज से करीब 5 साल पहले सुबह करीब 10-10.30 बजे के करीब मै गांव राउता में अपनी दुकान पर बैठा था, तब वहां पर सुरेश पुत्र उदाराम मेरी दुकान पर आकर कहने लगा कि मेरी ट्यूबवेल मोटर ठीक करनी है। सुरेश मुझे मोटर साईकिल पर बैठाकर लाखनी नदी पर लेकर गया। लाखनी नदी में काजाराम व यशंवत नदी में खड़े थे। फिर सुरेश ने काजाराम व यशवंत के साथ मिलकर हाथों से

मेरी मारपीट करने लगे। वो मुझे बाड़ में फेंककर भाग गये। मुलजिमानों ने मेरे जेब से सैमसंग मोबाईल व सुरेश की मोटर साईकिल में रखा मेरा सामान लेकर भाग गये। पुनमाराम के आकर बीच बचाव किया। मै तीनों मुलजिमानों को पहले से जानता था, फिर मैने थाने में रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पेश की थी, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मैने पुलिस को घटनास्थल का मौका बताया, जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मैने घटना में आयी चोटों की डॉक्टरी करवाई जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4, प्रदर्श पी 5, प्रदर्श पी 6 के सामान जब्त किया था, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिसकी फर्द नक्शा नज़री प्रदर्श पी 7, प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरा सामान पुलिस के द्वारा मुलजिमान से मेरे सामने बरामद किया गया था जो सामान मेरा ही था।"

इस प्रकार मुख्य परीक्षण के अभिकथनों से स्पष्ट होता है कि सुरेश ने स्वयं की टयूबवेल की मोटर ठीक करने के लिए रामदीन को बोला था जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने सुरेश से काजाराम की मोटर ठीक करने के निवेदन उल्लेख किया है।

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि वेनाराम सुरेश का भाई है तथा वेनाराम की मोटर ठीक करने की दुकान उसके पड़ोस में आई है। सुरेश एवं वेनाराम का एक ही टयूबवेल है जिस पर लगी मोटर वेनाराम भी ठीक कर सकता है। गवाह स्वीकार करता है कि उसने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 21.09.2015 को ही थाने में दी थी जो उसकी कलमी नहीं होकर किसी पुलिसवाले की कलमी है जिसका नाम उसे याद नहीं है। गवाह स्वीकार करते हैं कि घटना के दौरान उसकी पीठ पर चोटें आई है। वह इस सुझाव से इनकार करता है कि पूनमाराम के आने से पहले मुलजिमान चले गए थे। गवाह का कहना है कि पूनमाराम ने आकर उसे मुलजिमानों से छुड़ाया था। सामान की फर्द जब्ती प्रदर्श 4, 5 व 6 उसे थाने में ही बताई गई थी। वह स्वीकार करता है कि उसने सात हजार रूपये में कौन-कौनसे नोट थे इस बाबत बताया था लेकिन प्रदर्श पी 1 में क्यों नहीं लिखा उसे नहीं पता। सात हजार रूपये में हजार रूपये के 5 नोट व 500 रूपये के 4 नोट थे। गवाह स्वीकार करता है कि पुलिसवालों ने उसे 7000 रूपये बरामद करके दिए थे लेकिन प्रदर्श पी 5 में 2000 रुपये का ही हवाला है। गवाह स्वीकार करता है कि मोबाइल उसका स्वयं का था जो मुलजिमान ले गये थे। यशवंत को घटना से पहले कभी नहीं मिला था लेकिन वह उसको पहचानता था। गवाह स्वीकार करता है कि उसके शरीर पर लगी चोटों की डॉक्टरी घटना के एक-दो दिन बाद करवाई थी तथा एक ही बार करवाई थी।

09. इस प्रकार शिकायतकर्ता के बयानों से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं-

I. सुरेश द्वारा काजाराम के बजाय स्वयं की टयूबवेल ठीक करवाने का कहना जिसके संबंध में मुख्य परीक्षण एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में भिन्नता आती है।

II. दौराने जिरह वह स्वयं की पीठ पर चोटें आने की स्वीकृति करता है तथा घटना के दो दिन बाद ही चिकित्सकीय जांच करवाना स्वीकार करता है लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन से जाहिर होता है कि चिकित्सकीय परीक्षण दिनांक 21.09.2015 को किया गया था जबकि घटना दिनांक 13.09.2015 की है। इससे जाहिर होता है कि स्वयं परिवादी की स्वीकृति अनुसार चिकित्सकीय परीक्षण लगभग 15.09.2015 को हो जाना चाहिए था। परिवादी की यह स्वीकृति अभियोजन पक्ष की कहानी के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास पैदा करती है।

III. गवाह पुलिस द्वारा 7,000 रुपये बरामद करके उसे प्रदान करना स्वीकार करता है लेकिन प्रदर्श पी 5 के अनुसार 2,000 रूपये ही जब्त हो पाए हैं।

IV. अभियुक्तगण से परिवादी द्वारा उल्लेखित फोन की जब्ती नहीं हो पाई है, न ही अनुसंधानकर्ता द्वारा फोन एवं सिम की पहचान एवं अस्तित्व बाबत किसी प्रकार का अनुसंधान किया गया है।

V. परिवादी एवं अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति तथा अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता का तथ्य फोन के संबंध में उचित अनुसंधान के मार्फत अभिनिर्धारित किया जा सकता था लेकिन अनुसंधानकर्ता द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जिसका कोई औचित्य या स्पष्टीकरण भी नहीं सुझाया गया है।

VI. परिवादी यशवंत को पहले कभी देखा नहीं होने के बावजूद भी पहचान लिये जाने का तथ्य संदेहास्पद है।

VII. स्वयं वेनाराम द्वारा मोटर ठीक करने का काम किए जाने एवं मोटर ठीक करने की काबिलियत होने के बावजूद सुरेश द्वारा रामदीन को ठीक करने के लिए बुलाए जाने का तथ्य भी संदेहास्पद होता है। यह तथ्य तब और अधिक अविश्वसनीय हो जाता है जब सुरेश एवं वेनाराम के एक ही टयूबवेल हो, दोनों आपस में भाई हो तथा वेनाराम स्वयं मोटर ठीक करना जानता हो, ऐसी स्थिति में रामदीन द्वारा मोटर ठीक किए जाने की आवश्यकता समझ से परे है। रामदीन को भी यह ज्ञात है कि वेनाराम स्वयं मोटर ठीक कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपसी रंजिश

होने के बावजूद भी रामदीन द्वारा मोटर ठीक करने के लिए हां भर देना भी अविश्वसनीय प्रतीत होता है।

10. गवाह पीडब्ल्यू 2 सांवलाराम है जो कि नक्शा मौका प्रदर्श 2 का मौतबीर गवाह है। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"आज से करीबन पांच वर्ष पहले लाखनी गांव से पाता कि ढाणी जाने वाले रास्ते में नदी से पहले रामदीन के साथ मारपीट होने पर पुलिस ने मेरे सामने घटनास्थल का मौका देखा था। पुलिस ने मौके पर कार्यवाही कर फर्द नक्शा मौका हालात मौका प्रदर्श पी2 बनाया था, जिस पर एक्स स्थान पर मेरे अंगुष्ठ का निशान है। दूसरा मौतबीर बंशीलाल था।"**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि पुलिस ने 13.09.2015 को ही मौका देखकर उसके हस्ताक्षर करवा लिये थे। जबकि प्रदर्श 2 से स्पष्ट है कि घटना का मौका दिनांक 21.09.2015 को देखा गया है। गवाह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि प्रदर्श 2 पर अंकित दिनांक एवं समय सही लिखा हुआ है। वह पुनः इस बात पर जोर देते हैं हुए स्वीकृति करते हैं कि पुलिस वालों ने उसके समक्ष मौका दिनांक 13.09.2015 को ही देखा था। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 2 स्पष्ट रूप से दिनांक 21.09.2015 को ही तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 13.09.2015 को ही मौका देखे जाने का तथ्य स्वतः ही अविश्वसनीय साबित हो जाता है तथा दिनांक 21.09.2015 को प्रदर्श 2 सांवलाराम के समक्ष मुर्तिब किए जाने का तथ्य अप्रमाणित रह जाता है।

11. इसी प्रकार नक्शा मौका का अन्य मौतबीर गवाह बंशीलाल बतौर पीडब्ल्यू 5 परीक्षित हुआ है। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"मैं रामदीन को जानता हूं। रामदीन के साथ मारपीट बाबत पुलिस ने दिनांक 21.09.2015 को मौका लाखनी रोड पर देखा और नक्शामौका प्रदर्श पी 2 बनाया जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं।"**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि घटनास्थल पर पुलिस ने जहां मौका देखा वहां पर मोटरसाइकिलों के टायर के मार्क एवं मुलजिमानों के पैरों के खोज थे जो पुलिस ने ढके थे तथा इस प्रकार के खोज एवं मार्क का उल्लेख प्रदर्श 2 में भी किया गया था।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 2 से इन तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाती है तथा स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख मिलता है कि वाका पुराना हो जाने से जाहिरा खोज आदि नजर नहीं आ रहे हैं न ही कोई वस्तु वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस ली गयी है। इस विरोधाभास के चलते पीडब्ल्यू 5 के बयान भी विश्वसनीयता खो देते हैं।

12. गवाह पीडब्ल्यू 3 मोडसिंह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"राऊता गांव से 1 किमी दूर मेरा खेत व बेरा आया हुआ है। दिनांक 13.09.2015 की बात है। मैं मेरी मोटर (पानी की) ठीक करवाने के लिए राऊता गांव में मिस्त्री रामदेव उर्फ रामदीन की दुकान पर ठीक करवाने के लिए गया था। मैं सुबह 10-10.30 बजे गया था। मैंने मेरी मोटर ठीक करवाने के लिए रामदेव को दी थी और मैंने रामदेव को 7000/- रुपये मोटर ठीक करने के लिए दिए थे। 5 नोट 1000/- रुपये के 4 नोट 500 रुपये के थे। मेरे बैठने के 10-15 मिनट बाद रामदेव की दुकान पर सुरेश आया। सुरेश मोटर साइकिल लेकर आया। सुरेश ने आकर रामदेव को कहा कि कुंए की मोटर को चेक करनी है। कानाराम के बेरे पर चलना है, जहां पर मेरे बावड़ी की हुई है। मुझे दुकान पर बैठा कर रामदेव सुरेश कुमार के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ। रामदेव अपने साथ मोटरसाइकिल चेक करने का सामान मल्टीमिटीर, प्लास, पेचकस साथ लेकर गया था। डेढ, पौने 2 घंटे के बाद पुनमाराम सुथार रामदेव को ट्रेक्टर पर बैठाकर लेकर आया। रामदेव के चेहरे पर खरोंचे आई हुई थी। पीठ पर चोट व घुटने पर, शरीर पर जगह-जगह चोट आई हुई थी। रामदेव ने मुझे कहा कि नदी पर मेरे साथ सुरेश, कानाराम व यशवंत तीनों ने मेरे साथ मारपीट की है और मेरे जेब में रखे 7000/- रुपये मुलजिमान ने ले लिए। मोबाइल पर मोटर चैक करने का सामान भी मुलजिमानों ने ले लिया। सुरेश को मैं पहचानता हूं।"**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि पुलिस में उसके कोई बयान नहीं हुए थे पहली बार कोर्ट में बयान हो रहे हैं। यह कहना सही है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी तथा पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उसने घटना आंखों से होते हुए नहीं देखी थी। गवाह स्वीकार करता है कि रामदीन की मोटरसाइकिल चालू हालत में उसकी दुकान पर थी। उसे घटना की बात पूनमाराम ने बताई थी।

गौरतलब है कि इतना महत्वपूर्ण गवाह होने के बावजूद भी अनुसंधानकर्ता द्वारा इस गवाह से किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किए जाने का औचित्य समझ से परे है। यह तथ्य तब और अधिक असमंजस में डाल देता है जब अनुसंधानकर्ता द्वारा इस गवाह को बतौर गवाह, गवाह सूची में शामिल किया गया हो। गवाह के बयानों से रामदीन द्वारा दिए गए बयानों के संदर्भ में इस आशय का विरोधाभास उभरकर सामने आ रहा है कि रामदीन द्वारा स्वयं की मोटरसाइकिल खराब होने के कारण उसके घर पर होना

उल्लेखित किया गया है जबकि इस गवाह द्वारा स्वीकार किया गया है कि रामदीन की मोटरसाइकिल चालू हालत में उसकी दुकान पर थी।

13. अभियोजन पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 4 पुनमाराम है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"आज से करीब 5 वर्ष पहले मैं जोधावास से वापस राऊता गांव ट्रैक्टर लेकर आ रहा था। लाखणी गांव के नदी के पास मैं 10.45 बजे के लगभग मैं वहां पहुंचा तो वहां पर मिस्त्री रामदीन के साथ काजाराम, सुरेश व यशवंत तीनों मारपीट कर रहे थे। रामदीन वहां पर चिल्ला रहा था और कह रहा था मुझे छुड़ाओ। मैं वहां पहुंचा, उसके बाद मुलजिमान वहां से भाग गए। रामदीन नीचे खड़ा हुआ था। रामदीन के शरीर के जगह-जगह चोट व खरोंचे आई हुई थी। रामदीन ने मुझे कहा इन मुलजिमानों ने मेरे साथ मारपीट की है। रामदीन ने मुझे बताया कि मुझे मोटर चेक करने के बहाने मुझे बुलाया था और मुलजिमानों ने मेरे साथ मारपीट कर मेरे जेब में रखे पैसे व मोटर चेक करने का सामान ले लिया। फिर मैं रामसीन को ट्रेक्टर पर बैठाकर रामदीन की दुकान पर लेकर आया।"**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि जब वह मौके पर गया तब मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी न ही उसने मोटरसाइकिल मौके पर देखी थी। वह इस बात की पुष्टि जरूर करता है कि जब वह रामदीन को दुकान पर लेकर गया तब मौडसिंह बैठा था। गौरतलब है कि मोडसिंह को बतौर पीडब्ल्यू 3 परीक्षित करवाया गया है। गवाह स्वीकार करता है कि वह पुलिस के पास नहीं गया न ही पुलिस ने उससे कोई पूछताछ की न ही कोई बयान लिये। प्रदर्श डी 2 के बयान पुलिस को देने से स्पष्ट रूप से वह इनकार करता है।

गवाह पीडब्ल्यू 1 एव पीडब्ल्यू 4 के बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि पीडब्ल्यू 1 जो कि शिकायतकर्ता है वह अपने बयानों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि पूनमाराम के आने पर अभियुक्तगण मोटरसाइकिल लेकर भाग गए जबकि पूनमाराम स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि जब वह मौके पर गया तब वहां मोटरसाइकिल नहीं थी न ही उसने कोई मोटरसाइकिल देखी थी।

14. गवाह पीडब्ल्यू 7, पीडब्ल्यू 8 अभियुक्तगण की गिरफतारी के औपचारिक गवाहान है।

15. गवाह पीडब्ल्यू 9 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"दिनांक 29.09.2015 को मैं रास्ते रास्ते जुना चैनपुरा की तरफ जा रहा था। काजाराम के खेत में पुलिस खडी थी।**

मुझे पुलिस ने रूकवाया व मेरे सामने पुलिस ने एक प्लास, एक पेचकस, एक मल्टीमीटर, एक कलामीटर जब्त किये थे जो काजाराम की निशादेही से जब्त किये थे, फर्द जब्ती प्रदर्श पी4 है। उक्त बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी पुलिस ने मौके पर ही बनाया था जो प्रदर्श पी7 है। उसी रोज पुलिस ने मेरे रूबरू अभि. काजाराम के खेत में से एक थैली में से 500-500 के 4 नोट बरामद करवाये थे, उक्त बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श पी8 है। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी5 है तथा उसी स्थान से अभियुक्त काजाराम ने एक मोटरसाइकिल नं. आरजे 46 6824 डिस्कवर गाडी बरामद करवायी थी। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी6 है। उक्त बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी पुलिस ने मेरे रूबरू बनाया था जो प्रदर्श पी8 है। उक्त सभी फर्दो पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं।"

गवाह से जिरह के दौरान कोई विशेष विरोधाभास उभरकर सामने नहीं आया है लेकिन यह तथ्य काबिले गौर है कि तुलछाराम मोटर रिपेयरिंग का जानकार गवाह है तथा वह जब्तशुदा उपकरणों के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता है। जब्ती के समय इस प्रकार के पारंगत गवाह का उपस्थित होना भी एक ऐसा तथ्य है जो न्यायालय का विशिष्ट ध्यान आकर्षित करता है।

16. गवाह पीडब्ल्यू 12 चिकित्सक है जिनके द्वारा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 3 तैयार किया गया है। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

"मैं दिनांक 21.09.2015 को पीएचसी बागोड़ा में एमओ के पद पर था। उस रोज थानाधिकारी पुलिस थाना बागोड़ा की तहरीर पर मजरूब रामदीन के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी3 तैयार किया, जिन पर ए से बी मजरूब के एवं सी से डी मेरे हस्ताक्षर व ई से एफ भाग में मजरूबान के पहचान चिन्ह व जी से एच भाग में चोटों की अवधि अंकित है। मजरूब रामदीन के शरीर पर निम्न चोटें आयी थी 1.भरा हुआ घाव का निशान 3X5 सेमी दांए घुटने पर। 2.भरा हुआ घाव का निशान 1X2 सेमी पीठ पर। 3. भरा हुआ घाव का निशान 1X3 सेमी बाएं घुटने पर। 4. भरा हुआ घाव का निशान 1X1 सेमी व 0.5X0.5 सेमी बाएं हाथ की अंगुलियों पर। 5. दर्द होना जाहिर किया पीठ पर। 6. दर्द होना जाहिर किया पेट पर। उक्त सभी चोटें कुन्द हथियार से कारित थी व

साधारण प्रकृति की थी। चोटों की अवधि 7 दिन से ज्यादा समय की थी।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि चोट संख्या 1 से 4 के घाव भरे हुए घाव के निशान थे। गवाह स्वीकार करते हैं कि चोट संख्या 1 से 4 में भरे हुए घाव में किस प्रकार की खुरंट आए हुए थे या खुरंट आने के बाद स्वत ही निकले या निकाले हुए थे ऐसा कोई उल्लेख प्रदर्श 3 में नहीं है। वह स्वीकार करते हैं कि घाव भरने में लगभग 7 दिन या उससे ज्यादा का समय लगता है। गवाह स्वीकार करते हैं कि चोट प्रतिवेदन में आई नई स्कीन के कलर का कोई उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि चोट संख्या 1 से 4 बाइक से सड़क पर गिरने से आना संभव है।

17. गवाह पीडब्ल्यू 11 अनुसंधानकर्ता है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

"दिनांक 21.09.2015 को मैं पुलिस थाना बागोड़ा में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रार्थी रामदीन ने एक लिखित रिपोर्ट थाना हाजिर होकर मेरे समक्ष पेश की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर सी से डी भाग पर मेरा कायम मुकदमा एवं पुलिस कार्यवाही पृष्ठांकन है। मैंने उक्त प्रकरण सीआर नंबर 104/2015 पर दर्ज किया, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी-11 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मैंने दौराने अनुसंधान रूबरू मौतबीरान प्रार्थी की निशादेही से घटनास्थल का मौका देखा। नक्शा मौका प्रदर्श पी-2 है, जिस पर ए से बी प्रार्थी के, सी से डी मौतबीर के व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मौतबीर सांवलाराम का अंगुष्ठ निशान है। मैंने गवाहान रामदीन, मोडसिंह, पुनमाराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। मजरूब रामदीन के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल करवाकर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 शामिल पत्रावली किया, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 25.09.2015 को अभियुक्त काजाराम को जरिए फर्द प्रदर्श पी-9 के मौजा चैनपुरा से रूबरू मौतबीरान गिरफ्तार किया था, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबीरान के, ई से एफ मेरे व जी से एच मुलजिम काजाराम के हस्ताक्षर है। जैर ए हिरासत पुलिस मुलजिम काजाराम ने अपनी स्वेच्छा से धारा 27 ई वी एक्ट की इत्तला दी कि मैंने व सुरेश तथा यशवंत ने रामदीन मिस्त्री से मारपीट कर मोटर चैक करने के उपरांत मल्टीमीटर, कलामीटर व पलास व पेशकस खोसकर लिए थे, जो मैंने मेरे बैरे पर बनी रहवासीय ढाणी के पीछे बाड़ में छिपा

रखे है, जिन्हें मैं साथ चलकर बरामद करवा सकता हूं। इत्तला प्रदर्श पी-12 है, जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी अभियुक्त काजाराम के हस्ताक्षर है। उक्त इत्तला की पालना में अभियुक्त काजाराम ने अपनी निशानदेही से रूबरू मौतबीरान रहवासीय घर के पीछे बाड़े में से मल्टीमीटर, कलामीटर व पेशकस व पलास जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 के जब्त करवाए थे, जिस पर ए से बी प्रार्थी के, सी से डी व ई से एफ मौतबीरान के व जी से एच मेरे, आई से जे अभियुक्त काजाराम के हस्ताक्षर है। उक्त बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श पी-7 मैंने रूबरू मौतबीरान मौके पर ही मुर्तिब किया था, जिस पर ए से बी प्रार्थी के, सी से डी, ई से एफ मौतबीरान के, जी से एच मेरे व आई से जे अभियुक्त काजाराम के हस्ताक्षर है। दिनांक 27.09.2015 को जैर ए हिरासत पुलिस अभियुक्त काजाराम ने अपनी स्वेच्छा से धारा 27 ई वी एक्ट की इत्तला दी कि मैंने, सुरेश व यशवंत ने रामदीन के साथ मारपीट कर रूपये लूटकर लिए थे, जिसमें से मेरे बंट में 2000 रूपये आए थे, जिन्हें प्लास्टिक की थैली में डालकर मेरे रहवासी मकान के पीछे बाड़े में छिपा रखे है तथा वक्त घटना मेरे पास जो मोटरसाइकिल थी, वह भी मैंने मेरे रहवासी मकान के पीछे खड़ी कर रखी है। उन रूपयों व मोटरसाइकिल को मैं साथ चलकर बरामद करवा सकता हूं। इत्तला प्रदर्श पी-13 है, जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी अभियुक्त काजाराम के हस्ताक्षर है। उक्त इत्तला की पालना में अभियुक्त काजाराम ने अपनी निशानदेही से रूबरू मौतबीरान सरहद चैनपुरा में अपनी रहवासीय ढाणी के पीछे बने बाड़े में से 2000/- रूपये जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 के बरामद करवाए थे, जिस पर ए से बी प्रार्थी के, सी से डी, ई से एफ मौतबीरान के, जी से एच मेरे व आई से जे अभियुक्त काजाराम के हस्ताक्षर है। उक्त बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श पी-8 रूबरू मौतबीरान मौके पर ही मुर्तिब किया था, जिस पर ए से बी प्रार्थी के, सी से डी, ई से एफ मौतबीरान के, जी से एच मेरे व आई से जे अभियुक्त काजाराम के हस्ताक्षर है। मैंने रूबरू मौतबीरान घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी-6 के अभियुक्त काजाराम की निशानदेही से रूबरू मौतबीरान उसकी इत्तलानुसार रहवासी घर के पीछे बने बाड़े में से बरामद की थी, जिस पर ए से

बी प्रार्थी के, सी से डी, ई से एफ मौतबीरान के, जी से एच मेरे व आई से जे अभियुक्त काजाराम के हस्ताक्षर है। दिनांक 27.09.2015 को मैंने अभियुक्त यशवंतकुमार को रूबरू मौतबीरान आबादी चैनपुरा से जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-10 के गिरफ्तार किया था, जिस पर ए से बी प्रार्थी के, सी से डी, ई से एफ मौतबीरान के, जी से एच मेरे व आई से जे अभियुक्त यशवंत के हस्ताक्षर है। दिनांक 29.09.2015 को अभियुक्त वेनाराम को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-14 के आबादी चैनपुरा से रूबरू मौतबीरान गिरफ्तार किया था, जिस पर ए से बी मौतबीर के, सी से डी मेरे व ई से एफ अभियुक्त वेनाराम के हस्ताक्षर है। बरामदा मोटरसाइकिल के दस्तावेजात की फोटोप्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-15 शामिल पत्रावली की। पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण काजाराम, यशवंत उर्फ नरपत व विधि से संघर्षरत किशोर सुरेश कुमार के विरूद्ध जुर्म धारा 394, 323/34 भा.द.सं. व अभियुक्त वेनाराम के विरूद्ध जुर्म धारा 394, 323/34, 109 भा.द.सं. का प्रमाणित मान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि रामदीन के अलावा उन्हें किसी ने नहीं बताया कि मुलजिमान द्वारा रामदीन के साथ मारपीट की गई हो। वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि घटना के रोज ही उनके द्वारा रामदीन का मेडिकल करवा दिया गया था जिस संबंध में डॉक्टर ने सात दिन पहले की चोटें आई हुई होना बताया था। गवाह स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श पी 4, 5, 6 के जरिये बरामद किये गये सामान को जिस जगह से बरामद किया गया है उस मकान में उसके जाने से पहले लोग रह रहे थे लेकिन वह यह नहीं बता सकते कि मुलजिमान लोग कौन थे तथा उनका मुलजिमान से क्या रिश्ता था। गवाह स्वीकार करते हैं कि मुलजिमान ने अपने पास की चाबी से ताला खोलकर कोई बरामदगी नहीं बताई थी। गवाह स्वीकार करते हैं कि जिन औजारों की बरामदगी इस पत्रावली में उन्होंने बताई थी इस प्रकार के औजार अक्सर मिस्त्रियों व किसानों के पास भी होते हैं। परिवादी ने अपनी एफआईआर में यह नहीं बताया था कि उसके औजार किस रंग के एवं किस कंपनी के थे। घटनास्थल के पड़ोसियों ने घटना के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। गवाह स्वीकार करते हैं कि मौका निरीक्षण से मौके पर झगड़े के कोई आलामात नहीं मिले। वह स्वीकार करते हैं कि कॉल डिटेल उन्होंने ली थी लेकिन किस से क्या-क्या बात हुई वह नहीं बता सकते।

18. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से अध्ययन अवलोकन एवं विश्लेषण करने से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं-

I. घटना दिनांक 13.09.2015 को होने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.09.2015 को दर्ज करवाई गई है तथा प्रकरण में हुई देरी का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं सुझाया गया है। हालांकि शिकायतकर्ता द्वारा इस बात का उल्लेख जरूर किया गया है कि उसके द्वारा मौजिज व्यक्तियों को इस बाबत बताया गया था लेकिन प्रकरण में ऐसा कोई गवाह पेश नहीं किया गया है जिसके द्वारा इस बात की पुष्टि की गयी है कि शिकायतकर्ता द्वारा गावं के मौजिज व्यक्तियों के मार्फत प्रकरण को सुलझाने का प्रयास किया गया हो।

II. एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि शिकायतकर्ता द्वारा गांव के मौजिज व्यक्तियों के मार्फत प्रकरण को सुलझाने का प्रयास किया गया हो तो भी यह बात समझ से परे है कि उसके द्वारा इतनी चोटें आने के बावजूद भी स्वयं का इलाज क्यों नही करवाया गया। स्वयं शिकायतकर्ता यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा घटना के एक दो दिन बाद ही चिकित्सकीय परीक्षण करवा लिया गया था। वहीं पर अनुसंधानकर्ता का यह कहना है कि घटना के रोज ही रामदीन का चिकित्सकीय परीक्षण करवा लिया था लेकिन इन दोनों तथ्यों की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन से नहीं होती है। पत्रावली पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन से दिनांक 21.09.2015 को चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जाना स्पष्ट होता है। जो कि स्वयं परिवादी एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए बयानों से प्रमाणित नहीं होता है। अगर स्वयं परिवादी यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा दिनांक 21.09.2015 को कोई चिकित्सकीय परीक्षण नहीं करवाया गया है तो चोट प्रतिवेदन निष्प्रभावी हो जाता है।

III. परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में सुरेश द्वारा काजाराम की मोटर ठीक करने हेतु उसे ले जाने के तथ्य का उल्लेख किया गया है जबकि मुख्य परीक्षण में वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि सुरेश ने स्वयं की मोटर ठीक करने हेतु उसे साथ में आने को कहा था। गौरतलब है कि परिवादी की स्वयं की स्वीकृति से साबित होता है कि सुरेश एवं वेनाराम भाई हैं तथा दोनों की एक ही टयूबवेल है जिसके खराब होने का उल्लेख शिकायतकर्ता की शिकायत में मिलता है। यह भी गौरतलब है कि स्वयं वेनाराम मोटर ठीक करना जानता है तथा वेनाराम एवं

रामदीन दोनों ही मोटर रिपेयरिंग का व्यवसाय करते हैं तथा इन दोनों के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा भी है। ऐसी स्थिति में वेनाराम द्वारा किसी अन्य मिस्त्री को बुलाकर मोटर ठीक करवाने का औचित्य समझ से परे है। एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि वह मोटर ठीक करने के बहाने रामदीन को ले जाकर उसके साथ मारपीट करना चाहते थे तो भी यह माना जाना कठिन है कि रामदीन यह सब तथ्य जानते हुए भी मोटर ठीक करने के लिए क्यों राजी हुआ जबकि इन दोनों के बीच में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा मौजूद थी। यह एक ऐसी संभावना है जो इस बात की ओर इंगित करती है कि घटना वास्तविकता में कुछ और ही थी तथा उसे विश्वसनीय बनाने हेतु इस प्रकार की कहानी गढ़ी गई हो।

IV. स्वीकृत रूप से वेनाराम मौके पर मौजूद नहीं था तथा न ही सुरेश एवं वेनाराम के बीच में आपराधिक षडयंत्र होने का तथ्य किसी प्रकार से प्रमाणित होता है जिसके कारण वेनाराम के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होता है।

V. घटना के दो महत्वपूर्ण गवाहान मोडसिंह एवं तुलछाराम से पुलिस द्वारा स्वीकृत रूप से कोई अनुसंधान नहीं किए जाने के बावजूद उनका साक्ष्य सूची में शामिल होना औचित्यहीन प्रतीत होता है।

VI. स्वयं रामदीन स्वयं के एक चोट आना स्वीकार करता है जबकि चोट प्रतिवेदन में 6 चोटें आने की राय है जो कि चोट प्रतिवेदन के संबंध में उपर किये गये विश्लेषण से विश्वनीयता खो देता है।

VII. नक्शा मौका के गवाहान द्वारा नक्शा मौका दिनांक 13.09.2015 को देखे जाने के तथ्य का उल्लेख किया गया है तथा मौके पर मोटरसाइकिल के मार्क एवं अभियुक्त के पदचिन्ह भी मौजूद होने के अभिकथन किए गए हैं लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध फर्द नक्शा मौका प्रदर्श 2 से दोनों ही तथ्य साबित नहीं होते हैं।

VIII. रामदीन के फोन की ना तो अभियुक्तगण से कोई जब्ती हुई है, न ही फोन अस्तित्व एवं अवस्थिति के बारे में अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला गया है।

19. इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन से अभियोजन पक्ष की कहानी में अनेकों ऐसे विरोधाभास पैदा होते हैं जो संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही एवं घटना के संदर्भ में गंभीर संदेह

पैदा करते हैं इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक रूप से आरोपित घटना अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी हो तथा घटना का अनुंसधान विश्वसनीय रूप से किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने पर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

20. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण काजाराम पुत्र डुंगराराम, यशवंत उर्फ नरपत पुत्र रामलाल, वेनाराम पुत्र डुंगराराम निवासीगण जुना चैनपुरा, पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 394, 323/34 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही धारा 437 ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पर दिए गए हैं। अतः बाद गुजरने मियाल अपील/ रिवीजन के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझे जावें।

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)

21. निर्णय आज दिनांक 06.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)